भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2125

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में सिख धार्मिक स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा

2125. **श्री कुलदीप इंदौराः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पाकिस्तान के फारूखाबाद में स्थित लगभग 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक हिस्से को गिराए जाने की घटना से अवगत है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान सरकार के साथ सिख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण का मुद्दा उठाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है:

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान पाकिस्तान में सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने या उन पर अतिक्रमण से संबंधित ऐसे कितने मामलों पर सरकार ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं; और

(घ) दुनिया भर में स्थित सिख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार की नीति और कार्ययोजना क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ) सरकार पाकिस्तान के फारूकाबाद स्थित ऐतिहासिक 125 साल पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहब के एक हिस्से को ढहाए जाने की घटना से अवगत है। सरकार ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह इस मामले की शीघ्रता से जांच करे तथा ऐसा घृणित कृत्य करने वाले अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाए।

पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की कम से कम 550 प्रमुख घटनाओं का मुद्दा उठाया है, जिनमें धार्मिक स्थलों के अनादर के 31 मामले शामिल हैं। सरकार ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करे तथा पाकिस्तान में व्याप्त सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल पर निर्णायक विराम लगाए।

सरकार अपने विदेशों में स्थित राजनयिक मिशनों और केंद्रों के माध्यम से सिख समुदाय सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मेजबान सरकारों के संपर्क में रहती है। सरकार समय–समय पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यू.एन.एच.आर.सी.) सहित बहुपक्षीय मंचों पर भी इन मुद्दों को उठाती है।
